झारखंड
दैनिक भास्कर, रांची, गुरुवार 05 नवंबर, 2020

मत्स्य निदेशालय झारखण्ड, राँची
मत्स्य कृषकों के लिए आवश्यक सूचना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

एतद् द्वारा राज्य के सभी मत्स्य कृषकों को सूचित किया जाता है कि मछली पालन को रोजगार के रुप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत् नई योजना– "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत अपने–अपने जिला मत्स्य कार्यालयों में आवेदन दिए गए हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा शर्तें एवं दिशा निदेश निर्धारित हैं, जिनके आधार पर आवेदन के साथ वांछित कागजातों को संलग्न करना आवश्यक है। वांछित कागजातों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन अपेक्षित है –

- ❖ प्रत्येक आवेदक को आवेदित परियोजना का DPR (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) स्वयं के खर्च पर तैयार कर संबंधित
  जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना होगा।
- ❖ आवेदन के साथ आवश्यक भूमि की उपलब्धता का प्रमाण जमा करना होगा।
- ❖ भूमि निजी अथवा निबंधित लीज पर होनी चाहिए तथा प्रत्येक परियोजना के लिए लीज की अवधि अलग–अलग है।

विस्तृत विवरण मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रांची के वेबसाइट **www.jharkhandfisheries.org** पर उपलब्ध है अथवा भारत सरकार, मात्स्यिकी, पशुपालन एवं गव्य विकास मंत्रालय के वेबसाइट ***(www.dof.gov.in)*** पर ***PMMSY Guidelines*** भी उपलब्ध है।
विशेष जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भी आवेदन संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों में दिनांक 20.11.2020 तक दिया जा सकता है। साथ ही वैसे आवेदक जिनके द्वारा आवेदित छोटी / बड़ी परियोजनाओं का आवश्यक कागजात / डी0पी0आर0 जमा नहीं किया गया है, वे संबंधित कागजात / डी0पी0आर0 के साथ दिनांक 20.11.2020 तक अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करें ताकि उनके आवेदन को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए विचार किया जा सके।

मत्स्य पालन को अपनाएँ।
रोजगार के अवसर पाएँ।।

निदेशक मत्स्य

PR 235286 Fish(20-21)D